न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–208 / 2023

GCMS NO:- 2023/343

दायर दिनांकः 04.8.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामरतन आ0 करतुरा जाति धाकड़ नि0 करवर तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 4)

– प्रार्थीगण

बनाम

ओमप्रकाश आ0 भंवरलाल जाति माली नि0 करवर तहसील नैनवॉ वगै. (कुल 23)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 26.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ग्राम करवर तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 3267 / 1220 रकबा 1.2944 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1219 रकबा 3.8104 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3268 / 1220 रकबा 0.6472 हैक्टयर स्थित है जिस पर आने जाने व कृषि सामानों को लाने ले जाने के लिए रास्ता प्रत्यार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1175 व 1173 मे होकर परिशिष्ट अ के अनुसार वर्षो से उपयोग मे लेते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता मौजूद नही होने से प्रत्यार्थीगण ने वर्ष जुलाई 2023 मे डोल लगाकर व तार जाली गाड कर रास्ता बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण को खेती काश्त करने मे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। भूमि पडत भी रह सकती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर कृषिक साधनों को लाने ले जाने के लिए प्रत्यार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1175 व 1173 मे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित परिशिष्ट अ मे दर्शाये अनुसार ए से बी चौडाई 15 फीट का रास्ता दर्ज करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

आज दिनांक 26.06.2026 को हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1219, 3267 / 1220, 3268 / 1220 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा विना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ